न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/64/18	14–05–2018	30–07–2019

01. समीर खॉ पुत्र कन्नी खॉ जाति मेव निवासी ग्राम झाडोली उचित मूल्य दुकानदार 1/3 भाग ग्राम पंचायत घाटला तहसील व जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

01. जिला रसद अधिकारी, अलवर (राजस्थान)

रेस्पौडेण्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा जिला रसद अधिकारी अलवर दिनांक 21–02–2018 बाबत प्राधिकार पत्र संख्या–225/1984 प्रकरण संख्या 04/2016

उपस्थितः–

01. श्री श्योरामसिंह नरूका —वकील अपीलान्ट
02. विभागीय पैरोकार —रेस्पौडेण्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 21–02–2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र सं0–225/1984 निरस्त करने के आदेश दिये गये है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं पत्रावली तहत तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट ग्राम पंचायत घाटला में उचित मूल्य का दुकानदार है और 1/3 भाग ग्राम पंचायत घाटला में उचित मूल्य दुकान का संचालित करता है। अपीलान्ट की गलत जांच रिपोर्ट दिनांक 15.6.2016 के आधार पर जो आरोप विरचित किये गये थे, वो गंभीर प्रवृति के नही है, जांच अपीलान्ट की अनुपस्थिति में एकतरफा में की गई है। वक्त जांच स्टॉक पूरा पाया गया था किसी प्रकार की कोई अनियमितता नही थी। प्रवर्तन अधिकारी अलवर ग्रामीण द्वारा तैयार की गई है जिस जांच रिपोर्ट में अपीलान्ट पर किसी प्रकार का कोई आरोप नही बनता था लेकिन प्रकरण बनाने की नियत से गलत रूप से अरोप लगाये गये है। प्राधिकार पत्र के निलम्बित के बाबत भी कोई सूचना रैस्पा0 कार्यालय से प्राप्त नही हुई है, और अपीलान्ट की जात खास पर रैस्पा0 द्वारा की गई कुल कार्यवाही बाबत कोई तामील नहीं हुई है। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा मनमाने रूप से तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर आलोच्य आदेश पारित किया गया है। तहत अदालत की पत्रावली की आर्डर शीट में दिनांक 15.6.16 से दिनांक 21.2.18 तक कही भी अपीलान्ट को कोई सूचना या नोटिस आदि जारी नही किया गया है ना उसके डिस्पेच नम्बर आदि ऑर्डरशीट पर डाले गये ना ही किसी प्रकार का कोई कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है ना ही निलम्बित का नोटिस जारी किया गया है। जांच रिपोर्ट दिनांक 15.6.16 के आधार पर दो आरोप अपीलान्ट पर विरचित किये गये जिनकी पूर्व में जानकारी नही है जानकारी होते ही अपील के जरिये अपीलान्ट अपना जवाब माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी। थाना सदर अलवर द्वारा एक ट्रक को पकडा जिसमें काला तेल था और संदेह के आधार पर प्र.सू.रि. 336/16 थाना सदर अलवर में दर्ज की गई जिसमें अपीलान्ट को बेजा रूप से मुलजिम बनाया गया जबकि उक्त काले तेल का अपीलान्ट का किसी

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

प्रकार का सम्बन्ध व सरोकार नही था। अपीलान्ट का 90 दिनों के अन्दर जांच दिनांक 15.6.16 के आधार पर निलम्बित किये गये प्राधिकार पत्र को बाहल नहीं किया गया था, जिस कारण से अपीलान्ट द्वारा अपने हक हकूक की रक्षार्थ माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्ड पीठ जयपुर में एक रिट पिटीशन सं0 4254/18 बअनुवार समीर खां बनाम सरकार पेश की गई जिस रिट याचिका के पेश करने से दुर्भावना ग्रसित होकर रैस्पा0 द्वारा अपीलीय आदेश पारित करते हुए अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल करने के स्थान पर निरस्त कर दिया गया है। कानूनन 90 दिनों के पश्चात् निलम्बित लाईसेंस स्वतः ही बहाल हो जाना चाहिए, 90 दिन तक ही प्राधिकार पत्र को निलम्बित रखा जा सकता है, 90 दिवस के अन्दर प्राधिकार पत्र की जांच का फैसला करना होता है 90 दिवस के उपरान्त स्वतः ही प्राधिकार पत्र बहाल हो जाता है। जैसा कि श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 2.9.08 एवं 7.7.09 में दिशा निर्देश दिये हुए है। उसके बावजूद तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट के प्रकरण का निस्तारण 20 माह की अवधि व्यतीत हो जाने बावजूद करते हुए अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अपीलान्ट वर्ष 1984 से उचित मूल्य दुकानदार के कार्य को पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से करता चला आ रहा है। अपीलान्ट द्वारा कोई अनियमितता की गई है। जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा मनमाने रूप से हठधर्मिता से आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.18 से जानकारी दिनांक 5.3.18 तक का समय एवं उसके पश्चात दिनांक 5.3.18 से लेकर दिनांक 10.5.18 तक का नकल मिलने तक का समय एवं कानूनी सलाह लेकर प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद के साथ अपील पेश की है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर स्वीकार फरमाई जावें, एवं अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश दिये जावें।

विभागीय पैरोकार ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि आदेश 1976 की धारा 8 व 9 के तहत बिना सुनवाई के प्राधिकृत अधिकार पत्र निलम्बित किया जा सकता है। समस्त कार्यवाही की जानकारी अपीलान्ट को है। प्रकरण में प्रवर्तन अधिकारी ग्रामीण की प्रस्तुत रिपोर्ट के सलंग्न फर्द मौका दिनांक 15.6.16 द्वारा स्पष्ट हुआ है कि उचित मूल्य दुकानदार समीर खां के विरूद्व दर्ज एफ.आई.आर.संख्या 336/16 दिनांक 14.6.16 पुलिस थाना सदर के अनुक्रम में अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान पर जाचं हेतु गया तो दुकान बन्द पाई गई। सूचना पट्ट पर दुकान बन्द रखने का कोई कारण अंकित किया हुआ नही मिला। सूची का प्रदर्शन व स्टाक का अंकन बोर्ड पर नहीं किया जाना पाया गया। अपीलान्ट का यह कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का स्पस्ट उल्लधंन किया गया। प्रवर्तन निरीक्षक ने जांच कर सही रिपोर्ट पेश की है। दौराने जांच स्थिति सही नही मिली जिसके आधार पर कार्यवाही की गई है और ना ही अपीलार्थी कार्यालय में उपस्थित हुआ। अतः अपील खारिज फरमाई जावें।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया कि प्रवर्तन अधिकारी द्वारा मनमाने रूप से तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर आलोच्य आदेश पारित किया गया है। तहत अदालत की पत्रावली की आर्डर शीट में दिनांक 15.6.16 से दिनांक 21.2.18 तक कही भी अपीलान्ट को कोई सूचना या नोटिस आदि जारी नही किया गया है ना उसके डिस्पेच नम्बर आदि आर्डरशीट पर डाले गये ना ही किसी प्रकार का कोई कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है ना ही निलम्बित का नोटिस जारी किया गया है। अपीलीय आदेश में जो तथ्य दर्ज किये वो गंभीर प्रवृति के नही थे, केवल प्रकरण बनाने के लिए अपीलान्ट का लाईसेंस निरस्त करने के लिए ही लगाये गये थे, जिनका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नही है। जिला रसद अधिकारी, अलवर का फैसला विधि विरूद्व तरीके से मनमर्जी एकतरफा में पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा उठाये गये

जिला कलेक्टर
अलवर (राज0)

तर्क के सम्बन्ध में तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया। तहत अदालत की पत्रावली की आर्डर शीट में दिनांक 15.6.16 से दिनांक 21.2.18 तक कही भी अपीलान्ट को कोई सूचना या नोटिस आदि जारी नही किया गया है ना उसके डिस्पेच नम्बर आदि आर्डर शीट पर डाले गये, तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 21.2.18 को निरस्त कर दिया गया। जिससे जाहिर होता है कि अपीलान्ट को जवाब पेश करने का भी तहत अदालत ने कोई अवसर नहीं दिया। अपीलान्ट द्वारा अपील में उठाये गये तर्क सही प्रतीत होते है। बिना जवाब पेंश किए एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित निर्णय को उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपील अपीलान्ट स्वीकार होकर रिमाण्ड किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। जिला रसद अधिकारी अलवर का आदेश दिनांक 21–02–2018 निरस्त किया जाकर, अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 225/1984 बहाल किया जाकर प्रकरण जिला रसद अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को आरोपों के संबंध में विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई अवसर/साक्ष्य, सबूत का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का यथासम्भंव एक माह में गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करें। निर्णय प्रति के साथ पत्रावली तहत वापस भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30–07–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर, अलवर

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)